[illegible] कार्यालय कार्यवाही दिनांक
9.9.21 को पेश है।

27/7/21 प्रार्थी आशीष को प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही पेश है। बाद आशीष ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वह अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता। वापस करना चाहता है। वादी की पहचान की जरूरत नहीं है। वादी को सुना गया। वादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आशीष पत्रावली दिया जाता। वादी अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता इसलिए वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार बोनाद खत्म करने की कार्यवाही की जावे। वाद समाप्त घोषित करता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

अनिल कुमार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:47:35 IST
Reason: SelfAttested